बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक विभिन्न पदों पर सविदागत कर्मी कार्यरत है। वर्तमान मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) में 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का आर्थिक लाभ अनुमान्य है।

2 राज्य के विभिन्न स्तरो के सरकारी अस्पतालो में नागरिको को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। परिणामत सरकारी अस्पतालों मे स्वास्थ्य सुविधाओ का विस्तारीकरण हो रहा है, जिसमे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। विगत वर्षो मे सरकारी अस्पतालो मे विशेषज्ञ आधारित चिकित्सकीय सुविधाएँ मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। सरकारी अस्पतालो में मरीजो को निःशुल्क औषधि तथा अनिवार्य पैथोलॉजी एव रेडियोलॉजिकल जॉच की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कई अहम पहल किये गये है। कोविड की आपात स्थिति मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों द्वारा अहर्निश रूप से कार्य कर कोविड के प्रभावी रोक–थाम मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिला स्तर से स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक कुल 13377 सरकारी अस्पताल कार्यरत है, जिसका वार्षिक OPD की संख्या लगभग 08 करोड है।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियो के मनोबल बढाने एवं प्रभावी कार्य सस्कृति को विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदागत कर्मियो द्वारा NHM अन्तर्गत दिनांक 01.09.2025 को आहरित मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप में राज्य योजना मद से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक माह के लिए नियत रहेगी तथा इस पर NHM द्वारा अनुमान्य वार्षिक वृद्धि की गणना नहीं की जाएगी। दिनांक 31.08.2025 के पश्चात नव नियुक्त कर्मियों के Entry Level Salary (मानदेय) पर उक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि लागू होगा।

4. उक्त प्रोत्साहन राशि पर वार्षिक 72,00,00,000/–(बहत्तर करोड रूपये मात्र) का अतिरिक्त व्ययभार सभावित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष माहों (सितम्बर,2025 से मार्च, 2026 तक) के लिए 42,00,00,000/–(बयालिस करोड रूपये मात्र) व्यय भार संभावित है।

5 इस व्यय का वहन मॉग सख्या–20–2210 अन्तर्गत नये विपत्र कोड खुलवाते हुये किया जायेगा।

6 इस प्रस्ताव को मत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनाक–03 10 2025 के मद संख्या–120 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है ।

7 सकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सख्या–SHSB/AOCell/08/2025 के पृ0–7–8/टि0 में प्राप्त है ।

8. यह संकल्प दिनांक–01 09 2025 की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग ।
04/10/2025

ज्ञापांक– SHSB/AOCell/08/2025– 339(7)/**स्वा0, पटना, दिनांक**– 04/10/2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य मंत्री सचिवालय /मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/मंत्रिमडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना /सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/सबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
स्वास्थ्य विभाग ।
04/10/2025